



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी जिला-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी- केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

—:: आदेश ::—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार गुडामालानी की अनुशंषा रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के अनुसरण में ग्राम भीलो की ढाणी, पटवार मण्डल बारासण तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर की अंतिम चौसाला आधार सम्वंत 2073-2076 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021 से स्थायी) में खाता संख्या 54, 47 एवं 118 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. सं. | ग्राम              | खाता संख्या               | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| 1        | भीलो की ढाणी       | 54                        | "पूनमा पुत्र हरकिशनराम"              | "पूनमाराम पुत्र हिरकनराम"                                    |
|          |                    |                           | "मंगला पुत्र हरकिशनराम"              | "मंगलाराम पुत्र हिरकनराम"                                    |
|          |                    | 118                       | "हडुमान पुत्र हरकिशनराम"             | "हनुमानराम पुत्र हीरकनराम"                                   |
|          |                    |                           | "हडुमान पुत्र हरकिन"                 | "हनुमानराम पुत्र हीरकनराम"                                   |
| 47       | "पूनमा पुत्र हरकन" | "पूनमाराम पुत्र हिरकनराम" |                                      |  |

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
गुडामालानी जिला-बाड़मेर  
दिनांक:-16.12.2025

क्रमांक/कोर्ट/2025/956-958  
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार गुडामालानी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी पूनमाराम, मंगलाराम, हनुमानराम पिसरान हिरकनराम जाति विश्नोई निवासी भीलो की ढाणी तहसील गुडामालानी।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
गुडामालानी जिला-बाड़मेर

